रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, शनिवार, जून 16, 1984/ज्येष्ठ 26, 1906
No. 213] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 16, 1984/JYAISTHA 26, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1984

स 182/84-सीमाशुल्क

स का नि 456(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है । भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना स

302 सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैरा में आयातित माल वहन करने वाले शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 355/97/83-सीमा-1]

एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 1984

No. 182|84-CUSTOMS

G.S.R. 456(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking) No. 302-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph, the words "carrying imported goods" shall be omitted.

[F. No. 355|97|83-CUS-I]

M. N. BISWAS, UNDER Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984